बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः— **एल0पी0ए0 सं0—805/2006, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम् ललित मोहन प्रसाद एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—06.07.2015 को पारित आदेश के आलोक में श्री ललित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बख्तियारपुर को राज्य सरकार की सेवा में समायोजन के संबंध में।**

श्री ललित मोहन प्रसाद की नियुक्ति बिहार राज्य चीनी निगम के कार्यालय आदेश सं0—1904 दिनांक—27.08.1980 द्वारा श्रम कल्याण पदाधिकारी के पद पर की गयी थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना सं0—4476 दिनांक—31.12.1999 द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम से इनकी सेवा लेते हुए इन्हें विशेष पदाधिकारी, नगर परिषद् बाढ़ में पदस्थापित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा नगर विकास एंव आवास विभाग में सेवा समायोजन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—1388/2001, ललित मोहन प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक—13.07.2006 को पारित आदेश में श्री ललित मोहन प्रसाद की सेवा बिहार राज्य चीनी निगम में वापसी के संबंध में उल्लेख किया गया कि इनका मामला नई नियुक्ति का है, प्रतिनियुक्ति का नहीं तथा बिहार राज्य चीनी निगम में सेवा वापसी का कोई कारण नहीं बनता है। तद्नुसार याचिका को खारिज कर दिया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—13.07.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 805/2006, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम ललित मोहन प्रसाद एवं अन्य दायर किया गया। जिसमें दिनांक—06.07.15 को पारित आदेश में मामले को एल0पी0ए0 सं0—608/2006 में दिनांक—19.04.2010 को पारित आदेश के संदर्भ में निष्पादित करते हुए एल0पी0ए0 सं0—805/2006 को खारिज कर दिया गया।

3. एल0पी0ए0 सं0—628/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—19.04.2010 को पारित आदेश में बिहार राज्य सहयोग कय—विकय संघ समिति (बिस्कोमान) पटना से अभियंताओं की सेवा प्राप्ति के उपरांत सेवा वापसी संबंधी विभागीय आदेश को रद्द करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सेवा समायोजन का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई थी, जिसे दिनांक—24.01.2011 को पारित आदेश में खारिज कर दिये जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1724 दिनांक—22.05.2012 द्वारा बिस्कोमान से सेवा प्राप्त अभियंताओं का सेवा समायोजित किया गया।

4. एल0पी0ए0 सं0—805/2006, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम ललित मोहन प्रसाद एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—06.07.2015 को पारित आदेश के संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गई। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श में उल्लेख किया गया कि एल0पी0ए0 में पारित आदेश के अनुपालन/अपील के बिन्दु पर प्रशासी विभाग को ही निर्णय लेना है। अपेक्षित होने पर प्रशासी विभाग विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर सकता है। वित्त विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा दिये गये परामर्श में उल्लेख किया गया है कि एल0पी0ए0 सं0—805/2006 के विरूद्ध अपील दायर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग के पास उसका अनुपालन करने के अलावा कोई विकल्प नही है। विधि विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में उल्लेखनीय है कि एल0पी0ए0 सं0—805/2006 को माननीय न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0—628/2006 में दिनांक—19.04.2010 को पारित आदेश के संदर्भ में निष्पादित किया गया है तथा एल0पी0ए0 सं0—628/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दिया गया था।

5. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में एल0पी0ए0 सं0—805/2006 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—06.07.2015 को पारित आदेश के बाध्यकारी अनुपालन की स्थिति के आलोक में श्री ललित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बख्तियारपुर को बिहार राज्य चीनी निगम से विभाग में सेवा लिये जाने की तिथि—31.12.1999 से राज्य सरकार की सेवा में निम्न शर्त्तों के अधीन समायोजित किया जाता है:—

(i) श्री ललित मोहन प्रसाद जिस आरक्षण श्रेणी में आते हैं, उस आरक्षण बिन्दु के आधार पर इनका सेवा समायोजन किया जायेगा।

(ii) श्री ललित मोहन प्रसाद का नगर विकास एवं आवास विभाग में प्रतिनियुक्ति की तिथि (31.12.1999) से की गई सेवा को सेवोत्तर लाभ की गणना हेतु राज्य सरकार की सेवा मानी जायेगी।

(iii) समायोजन वर्ष 2005 के पूर्व की अवधि दिनांक–31.12.1999 से होने के फलस्वरूप इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(iv) श्री प्रसाद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के अनुसार भविष्य निधि कटौती की राशि में अपना अंशदान मिलाकर बिहार राज्य चीनी निगम के भविष्य निधि कोषांग में जमा करायेंगे।

(v) समायोजन की तिथि–31.12.1999 को समायोजित पद का प्रारम्भिक वेतन देय होगा। यदि यह वेतन उन्हें पहले से प्राप्त होगा तो उन्हें वेतन संरक्षण दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

(vi) विभाग में श्री ललित मोहन प्रसाद जिस कोटि में पदस्थापित थे, उसी कोटि के समकक्ष पद पर उनका समायोजन होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(भरत झा)
निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (राज0)–06/2017–735/न0वि0एवं.आ0वि0/पटना,दिनांक– 6/2/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध हैकि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम /स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री ललित मोहन प्रसाद, सेवानिवृत्त, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक–30.01.2018 के मद संख्या–12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–अपर सचिव।